न्यायालय–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)
(समक्षः–श्रीकृष्ण बुखारिया)

सिविल वाद क्रमांक–67A/2022
Filling No. RCSA/87/2022
Registration No- RCSA/67/2022
CNR No-MP32060011132022
संस्थित दिनांकः–14/12/2022

01. रामस्वरूप पुत्र छिम्मे दोहरे, उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम पौरा, तहसील व जिला झॉसी उ.प्र.।
02. परशुराम पुत्र छिम्मे दोहरे, उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम पौरा, तहसील व जिला झॉसी उ.प्र.।

............वादीगण

विरूद्ध

01. विक्रमसिंह पुत्र सुखनंदन यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम धमना, तहसील भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.।
02. हमीद खां पुत्र शेर खॉ, जाति मुसलमान, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम तरगुवां, तहसील व जिला दतिया म.प्र.।
03. बशीर खां पुत्र शेर खां, जाति मुसलमान, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम तरगुंवा, तहसील व जिला दतिया म.प्र.।
04. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया म.प्र.।

...........प्रतिवादीगण

//निर्णय//

(आज दिनांक– 31.10.2025 को पारित)

01. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा धमना तहसील भाण्डेर जिला दतिया में स्थित भूमि मानांक 96 रकबा 0.390 हे0 **(जिसे आगे वादग्रस्त/विवादित भूमि से संबोधित किया जायेगा)** के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्वाधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षिप्त में वादीगण का मामला इस प्रकार है कि वादीगण भूमि मानांक 96 रकबा 0.390 हे. स्थित मौजा धमना, तहसील भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.

के आधिपत्ययुक्त भूमिस्वामी है **(जिसे आगे वादग्रस्त/विवादित भूमि से संबोधित किया जायेगा)।** वादग्रस्त मानांक 96 का पुराना मानांक 136 था जो बंदोवस्त के दौरान नवीन मानांक में परिवर्तित कर दिया गया और वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता छिम्मे पुत्र हलकू की स्वअर्जित संपत्ति है जो छिम्मे ने प्रतिवादीगण क्रमांक 2–3 के पिता शेर खां तथा चाचा छोटे खां पुत्रगण खरोरे से भाग 2/3 तथा लालाराम पुत्र श्यामलाल कुरमी से भाग 1/3 निवासी ग्राम तरगुंवा तहसील व जिला दतिया से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1984 प्रतिफल 3000/–रूपये में विधिवत कृय की थी और शेर खां, छोटे खां व लालाराम ने वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयत कराकर वादीगण के पिता को सौंप दिया तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी छिम्मे वादीगण के पिता को सौंप दिया तभी से छिम्मे अपनी मृत्यु पर्यन्त व छिम्मे की मृत्यु के बाद वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत भूमिस्वामी काबिज चले आ रहे है और वर्तमान में वादीगण ही वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्ययुक्त होकर वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से कृषि कार्य कर रहे है।

03. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि वादीगण के पिता छिम्मे ने वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण बजाये शेर खां, छोटे खां व लालाराम जिला ग्वालियर (अब दतिया) के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 2/93–94/अ–6 पर पंजीबद्ध हुआ और उक्त प्रकरण में तत्कालीन नायब तहसीलदार ने छोटे खां व लालाराम विक्रेतागण तथा विक्रय पत्र के साक्षी गोटीराम के कथन लिपि बद्ध कर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता छिम्मे का नामांतरण बजाये शेर खा, छोटे खां व लालाराम विक्रेतागण दिनांक 16.12.1996 को पारित आदेश कर नामांतरण स्वीकार किया तथा राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता छिम्मे क्रेता का नाम दर्ज करने हेतु मौजा पटवारी को आदेशित किया तो पटवारी ने वर्ष 1996–97 के खसरा में उक्त प्रकरण का उल्लेख करते हुए वादग्रस्त भूमि (पुराना मानांक 136) पर वादीगण के पिता का नाम बहैसियत भूमिस्वामी दर्ज किया जो वर्ष 1997–98 में भी खसरा में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता छिम्मे अपने जीवनकाल तक बहैसियत भूमिस्वामी काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण बहैसियत भूमिस्वामी आधिपत्ययुक्त है और वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का किसी भी प्रकार का स्वत्वआधिपत्य नहीं है और छिम्मे ने वादीगण के हित में वसीयतनामा निष्पादित कर उसकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण करा पाने हेतु अधिकृत किया।

04. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि वादीगण के पिता एवं वादीगण अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है तथा इस भरोसे में रहे कि वादग्रस्तभूमि पर वादीगण के पिता छिम्मे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का नाम बहैसियत भूमिस्वामी दर्ज हो गया होगा। वादीगण ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए वादग्रस्त भूमि की खसरा खतौनी की नकल प्राप्त करने के लिए सूचना केन्द्र भाण्डेर जिला दतिया में आवेदन पत्र पेश किया तो दिनांक 18.07.2022 को वादग्रस्त भूमि की खसरा खतौनी की नकल प्राप्त हुई तो देखा कि खसरा खतौनी में वादीगण या उसके पिता का नाम गायब है तथा उस पर प्रतिवादी बसीर खां, हमीद खां का

नाम भाग 11/78 तथा विक्रम सिंह प्रतिवादी का नाम 76/78 पर दर्ज देखकर आश्चर्य चकित रह गये और जब वादीगण ने इस संबंध में पटवारी से पूछताद की तो उसने कुछ भी बतलाने में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। वादी रामस्वरूप ने तहसील भाण्डेर व जिला दतिया से वादग्रस्त भूमि की संबंधित नकले प्राप्त की तो पता चला कि बिना किसी आधार व सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त भूमि पर खसरा खतौनी में वादीगण के पिता का नाम गायब कराकर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने अपना नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करा लिया और वादीगण के स्वत्व व कब्जा को नष्ट करने की दुर्भावना से वादग्रस्त भूमि के कुल रकबा 0.390 हे. में से रकबा 0.282 का एक फर्जी नुमायशी विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 को विक्रमसिंह प्रतिवादी क्रमांक 01 के हित में निष्पादित कर दिया ताकि विक्रमसिंह प्रतिवादी जो दंबग व्यक्ति है के सहयोग से वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जा सके।

05. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने पिता छिम्मे के जीवनकाल से तथा पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष से लगातार निरंतर बिना किसी बाधा के अबाध रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 तथा अन्य व्यक्तियों की जानकारी में तन्हा काबिज चले आ रहे है और हमीद खां, बसीर खां प्रतिवादीगण ने तत्कालीन पटववारी से साजिश करके वादीगण के पिता छिम्मे के नाम की पृविष्टी कटवाकर अपने तथा अपनी मॉ शेदल बेबा शेर खां के नाम की प्रविष्टी करा ली जिसका प्रतिवादी 2 व 3 को कोई अधिकार नहीं और सेदेल बेबा शेर खां की मृत्यु हो चुकी है। हमीद खां, बसीरखां प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि के भाग 5/6 तथा अपनी माता सेंदल के नाम 1/6 भाग की अवैध प्रवृष्टि करा ली जिसका आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा भी प्रदान नहीं किया और उक्त प्रवृष्टि भी वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन, अवैध है और वादीगण ही वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी काबिज है।

06. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि वादग्रस्त भूमि शेर खां, छोटे खां व लालाराम ने दिनांक 14.05.1984 को संपूर्ण रकबा 0.390 हे. का विक्रय जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पिता छिम्मे के हित में तीन हजार रूपये प्रतिफल लेकर विक्रय कर दी तो शेर खा, छोटे खां व लालाराम को वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के स्वत्व भूमिस्वामी/कब्जा शेष नहीं रहा उसका छिम्मे ही Absolute भूमिस्वामी हो गया इस कारण बाद में हमीद खां, बसीर खां प्रतिवादी व सेंदल के नाम वादग्रस्त भूमि पर की गई प्रविष्टि कानूनी रूप से स्वमेव, अवैध प्रभावहीन व शून्यवत है, ऐसे अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी 2–3 व उनकी माता सेंदल मृत को केवल नामांतरण के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का भूमि स्वामी स्वत्व उत्पन्न नहीं हुआ इस कारण बसीर खां, हमीद खां प्रतिवादी द्वारा विक्रमसिंह प्रतिवादी के हित में निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 वादीगण के मुकाबले स्वमेव अवैध शून्यवत है।

07. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि सेंदल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने वादग्रस्त भूमि के भाग 1/6 पर प्रकरण क्रमांक 303/2021–22/अ–6 से न्यायालय तहसीलदार भाण्डेर द्वारा दिनांक 04.10.2021 को अपना नामांतरण गोपनीय ठगो से करा लिया जो अधिकार हीन होने तथा उपरोक्त कारण से अवैध है और वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकबा 0.390 के वादीगण आधिपत्ययुक्त भूमिस्वामी है। विक्रमसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 ने पटवारी से साजिश करके फर्जीरूप से वादग्रस्त भूमि में भाग 56/78 पर अपने नाम की प्रवृष्टी करा ली तथा पटवारी मौजा धमना भाण्डेर ने खसरा में न्यायालय तहसीलदार भाण्डेर के किसी प्रकरण 0609/अ–6/2021–22 में आदेश दिनांक 30.12.2021 का उल्लेख कर वादगस्त भूमि के भाग 56/78 पर विक्रमसिंह प्रतिवादी का नाम खसरा–खतौनी में दर्ज कर दिया जबकि उक्त प्रकरण विक्रमसिंह प्रतिवादी के नामातंरण से संबंधित नहीं होकर अन्य व्यक्ति सुघरसिंह आदि से संबंधित है। विक्रमसिंह प्रतिवादी ने पटवारी से साजिश कर वादग्रस्त भूमि के भाग 56/78 पर अपने नाम की फर्जी प्रवृष्टि की कूट रचना कर ली जो कि एक आपराधिक कृत्य है और उक्त फर्जी बैयनामा व तथाकथित नामांतरण प्रवृष्टी से विक्रमसिंह प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व कब्जा उदभूत नहीं हुआ और उक्त प्रवृष्टी भी वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन शून्यवत है।

08. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि न्यायालय तहसीलदार ने उक्त आदेश पारित करने के पूर्व वादीगण को कोई सूचना नहीं दी और नामांतरण नियमों का पालन भी नहीं किया। यहां तक कि घोषणा पत्र का विधिवत प्रकाशन भी नहीं कराई तथा तहसीलदार ने नामांतरण आदेश दिनांक 04.10.21 पारित करने में Judial mind भी apply नहीं किया तथाकथित आदेश पूर्व से टाईपशुदा कागज पर fillup the blank के रूप में है जो वादीगण को मुकाबिले अवैध व शून्यवत प्रभावहीन है। दिनांक 15.10.2022 को वादीगण वादग्रस्त भूमि को बखर कर लौट रहे थे कि रास्ता में विक्रमसिंह प्रतिवादी मिला और वादीगण से बोला कि वादीगण अब वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड दे नहीं तो वह जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करेगा। वादग्रस्त भूमि पर खसरा में अवैध प्रवृष्टी प्रतिवादीगण के नाम की होने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल होने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करना चाहते है तथा उस पर अपना स्वत्व जाहिर करने लगे यदि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जा में हस्तक्षेप करने से नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि जबरन बलपूर्वक कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण की आजीविका नष्ट हो जायेगी और वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व कब्जा नष्ट हो जायेगा जिससे अनावश्यक मुकदमाबाजी बढेगी और वादीगण को अपूर्तनीय आर्थिक, मानसिक क्षति पहुंचेगी। वादी को वादकारण दिनांक 12.02.2021 को प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के मिन रकबा 0.282 हे. का विक्रय प्रतिवादी 1 के हित में निष्पादित करने तथा सेंदल मृत के स्थान पर दिनांक 04.10.21

को नामांतरण आदेश पारित किये जाने से विशेषतः दिनांक 15.X.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण से वादग्रस्त भूमि का कब्जा छीनने की धौंस देने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर विधिवत न्यायशुल्क अदा किया गया है।

09. वादीगण ने यह भी अभिवचनित किया कि वादग्रस्त भूमि मानांक 96 रकबा 0.390 हे. के आधिपत्ययुक्त भूमिस्वामी है तथा उस पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम बजाये प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करा पाने के अधिकारी है और हमीद खां, बसीर खां प्रतिवादी द्वारा विक्रमसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के हित में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 तथा उसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वीकृत नामांतरण वादीगण के मुकाबले अवैध शून्यवत, प्रभावहीन है और वादग्रस्त भूमि के भाग 1/6 पर सेंदल बेबा बसीर खां के स्थान पर प्रकरण क्रमांक 303/अ–6/21–22 में दिनांक 04.10.21 को न्यायालय तहसीलदार भाण्डेर द्वारा पारित आदेश वादीगण के मुकाबिले प्रभावहीन व शून्यवत है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जा में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए रोका जावे और विकल्प में वादीगण ने यह भी प्रार्थना करते है कि यदि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं पाया जाये या दौराने मुकदमा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 वादीगण से वादग्रस्त भूमि का कब्जा छीनते तो वादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 से दिलाया जावे और वादीगण को वाद व्यय प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 से दिलाया जावे और अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय द्वारा वादीगण के हित में उचित समझे प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के विरूद्ध दिलाये जाने का निवेदन किया है।

10. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से अपने अभिवचनों में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता से इंकार करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्रमांक 96 प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य का है और वादीगण का उक्त भूमि मानांक में किसी प्रकार का कोई स्वत्व, हित अथवा आधिपत्य नहीं है और वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता छिम्मे का कोई स्वत्व, स्वामित्व नहीं था, अपितु शेर खां, छोटे खां जो प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के पूर्वाधिकारी थे वादग्रस्त भूमि के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्यधारी थे और मूल भूमिस्वामी शेर खां व छोटे खां द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि विक्रय नहीं की गई थी और वादीगण द्वारा दर्शित विक्रय पत्र फर्जी व बनावटी है और शेर खां व छोटे खां द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपा गया और छिम्मे वादग्रस्त भूमि पर कभी काबिज नहीं रहे और छिम्मे की मृत्यु के बाद भी वादीगण का कभी कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा और ना ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि में वादीगण को कभी कोई भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित हुए और वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 विक्रमसिंह के कब्जे काश्त में है। वादग्रस्त भूमि पर विधिवत कभी भी छिम्मे का नामांतरण नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई प्रकरण नामांतरण बाबत प्रचलित नहीं

रहा और समस्त कार्यवाही वादीगण ने फर्जी तौर पर राजस्व अमला से मिलकर करवाई और वादीगण द्वारा पुराने भूअभिलेख के खसरों में हेरफेर कराकर गलत प्रविष्टियॉ करवाई है और यह लेख कर देना भी समीचीन होगा कि राजस्व कागजातों की प्रविष्टियॉ कभी स्वत्व प्रदान नहीं करती, बल्कि वे मात्र आर्थिक प्रविष्टियॉ होती है।

11. प्रतिवादी कमांक 1 ने यह भी अभिवचनित किया है कि छिम्मे द्वारा वादीगण के हित में कभी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया और ना ही छिम्मे को वसीयतनामा निष्पादित करने का कोई अधिकार ही था और वादीगण द्वारा पेश वसीयतनामा पूर्णतः फर्जी व बनावटी है और फर्जी वसीयतनामा के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूम पर अपने नामांतरण का कोई अधिकार नहीं है और यदि छिम्मे द्वारा वास्तव में कोई वसीयतनामा वादीगण के हित में निष्पादित किया गया होता तो इतने अंतराल के बाद तक वसीयतनामा के आधार पर वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई यह तथ्य भी वसीयतनामा को संदिग्ध दर्शित करता है। वादीगण सीधे सादे ग्रामीण न होकर पूर्णतः चतुर चालाक व्यक्ति है जिनके द्वारा फर्जी वसीयतनामा तैयार कराकर यह मिथ्या वाद पेश किया गया है। वादीगण का यह कहना कि उन्हें दिनांक 18.10.2022 को प्रथमतः खतौनी की नकल लेने पर प्रतिवादीगण के नाम के इंद्राज का ज्ञान हुआ कतई गलत है और वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण कमांक 2 व 3 के वादग्रस्त भूमि पर नाम के अंकन की जानकारी वादीगण सहित समस्त ग्रामवासियों को पूर्व से ही वर्षो पूर्व से भलीभांति थी और प्रतिवादी कमांक 1 व 2 द्वारा विकम सिंह प्रतिवादी कमांक 1 के हित में निष्पादित विकय पत्र की जानकारी भी तत्समय से ही सभी को थी और कय दिनांक से प्रतिवादी कमांक 1 विकमसिंह वादग्रस्त भूमि पर खेती करता व कृषि उपज लेता चला आ रहा है और विकय पत्र निष्पादन के पूर्व प्रतिवादी कमांक 2 व 3 साधिकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे थे और इन तथ्यों की भी बखूवी जानकारी वादीगण को यथा समय से रही है और वादीगण का कब्जा था ही नहीं तो उसे नष्ट किये जाने वाली बात ही व्यर्थ है। विकय पत्र दिनांक 11.02.2021 बहक विकमसिंह प्रतिवादी कमांक 1 फर्जी व नुमायशी न होकर पूर्णतः वैध व सही है और विकमसिंह प्रतिवादी कमांक 1 गांव का सभ्रांत इज्जतदार व्यक्ति है जिसे वादीगण द्वारा दंबग लिखा जाना पूर्णतः अपमानजनक है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 15 वर्षो से अथवा कितने ही समय से कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना आज है।

12. प्रतिवादी कमांक 1 ने यह भी अभिवचनित किया है कि प्रतिवादी कमांक 2 व 3 द्वारा कभी किसी पटवारी से मिलकर कोई साजिश नहीं की गई व ना कराई गई और प्रतिवादीगण कमांक 2 व 3 द्वारा अपने व अपनी मॉ के नाम का बेजा इंद्राज कभी नहीं कराया गया, बल्कि प्रतिवादीगण कमांक 2 व 3 व उनकी मॉ का नाम स्वाभाविक मृतक शेर खां के उत्तराधिकारी होने के नाते दर्ज हुआ है। शेर खां, छोटें खां द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई अंतरण छिम्मे के हक में नहीं किया गया

था और विक्रय पत्र बहक छिम्मे फर्जी व बनावटी होकर कूटरचित दस्तावेज है और शेर खां, छोटे खां द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी भी कब्जा छिम्मे को नहीं सौंपा गया और ना ही वादग्रस्त भूमि पर छिम्मे का कब्जा रहा। विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी क्रमांक 1 विक्रमसिंह शून्यवत न होकर पूर्णतः वैध व प्रभावशील है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम विधिवत तहसील न्यायालय के आदेश से नामांत्रित हुआ और नामांतरण प्रकरण विधिवत विक्रमसिंह के नाम होकर पूर्णतः वैध व सही है। वादीगण द्वारा कम वाद मूल्य काम कर कम न्यायशुल्क पटाया गया है और न्यायशुल्क के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। विशेष आपत्ति कर यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है और प्रकरण में कब्जे की सहायता नहीं चाही गई है इसलिए वाद पत्र वादीगण इस्पेशिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा 1994 के तथाकथित दस्तावेज विक्रय पत्र जो कि फर्जी है के आधार मानकर प्रस्तुत वाद पेश किया जा रहा है और वाद पत्र वादी लंबे अंतराल से पेश होने के कारण हर प्रकार से हर रिलीफ के लिए बे मियाद है। वादीगण द्वारा सन 1997–98 के बाद ही वादग्रस्त भूमि बाबत प्रविष्टियॉ के संबंध में न तो कोई दस्तावेज पेश किये गये है और ना ही इस लोप बाबत कोई स्पष्ट अभिवचन वाद पत्र में किया गया है इस प्रकार वाद पत्र अपूर्ण होकर निरस्तनीय है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को परेशान करने के लिए बिना किसी स्वत्व या अधिकार के यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया गया है और वादीगण पर 5000/–रूपये स्पेशल कॉस्ट लगाई जावे। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

13. प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 की ओर से अपने अभिवचनों में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता से इंकार करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि वाद पत्र के पद क्रमांक 1 में वर्णित तथ्य एवं अभिवचन जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से स्वीकार नहीं है, क्योंकि भूमि मानांक 96 रकबा 0.39 हे. स्थित मौजा धमना के संबंध में राजस्व अभिलेख में अंकित भूमिस्वामी के संबंध में जानकारी नहीं है तथा पद क्रमांक 2 में वर्णित तथ्य एवं अभिवचन वर्तमान मानांक एवं पूर्व मानांक के संबंध में है जो राजस्व अभिलेख का विषय है जिसमें आपत्ति नहीं है। सर्वे नंबर 136 वाली भूमि के भूमिस्वामी कौन थे और क्या उक्त भूमि उनकी स्वअर्जित थी या नहीं यह राजस्व अभिलेख का विषय है लेकिन उक्त भूमि दिनांक 10.07.1984 को छिम्मे ने क्रय की थी यह तथ्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि इस बाबत कभी कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित व्यक्ति होकर सरकारी कागजात एवं लिखापढी से अनभिज्ञ है इसका बेजा लाभ उठा कर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने किसी तरह की कोई लिखापढी वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने पक्ष में करा ली हो तो वह गलत है और प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 की ओर से कभी किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को नहीं सौंपा और न उसका नाम दर्ज किए जाने बाबत कभी कोई सहमति दी यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज बना लिया हो तो वह प्रतिवादी क्रमांक 2

व 3 को स्वीकार नहीं है और उन पर बंधनकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है और वादीगण उक्त भूमि के न मालिक है और न ही काबिज है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 मालिक है और वादी द्वारा अपने पिता छिम्मे का मृत्यु दिनांका उल्लेख नहीं किया गया है।

14. प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने यह भी अभिवचनित किया है कि वर्तमान दावा की कार्यवाही में आवश्यक व हितग्राही पक्षकारों का अभियाव होकर असंयोजन का दोष विद्यमान है इस कारण भी वर्तमान दावा प्रचलन योग्य नहीं है और वर्तमान दावा की कार्यवाही में वादीगण ने छिम्मे के वारिस होने के आधार पर दावा दायरी की हाइलेकिन छिम्मे के अन्य वारिस अर्थात पत्नी, पुत्र व पुत्रियों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है एवं छिम्मे के सिजरा खानदान का कोई उल्लेख दावा में नहीं किया गया है और उनके शेष वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत भी कोई उल्लेख दावा में नहीं किया गया है और उनके शेष वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत भी कोई अभिवचन नहीं किया गया है और वादीगण का दावा अवधि बहाय होकर असंयोजन के दोष के कारण प्रचलन योग्य नहीं है। दिनांक 12.02.2021 को प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना स्वीकार नहीं है। वादीगण के द्वारा स्वत्व घोषणा की सहायता चाही है जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वादीगण द्वारा व्यक्त तथाकथित वसीयतनामा भी बनावटी दस्तावेज होने के कारण भी वादीगण सहायता पाने के अधिकारी नहीं है और तथाकथित विक्रय पत्र दिनांकित 11.02.2021 के विरूद्ध सहायता चाही है किन्तु उक्त बाबत पृथक से न तो वादमूल्य कायम किया गया है और न प्रथक से न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः वादीगण का वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर होने से वादीगण न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है।

15. प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्नों का निराकरण किया जाकर उनके निष्कर्ष अंकित किये गये।

क्र.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या वादीगण मौजा धमना तहसील भाण्डेर स्थित विवादित भूमि मानांक 96 रकबा 0.390 हे. (बंदोवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 136) का पैतृक संपत्ति होने के स्वामित्वधारी एवं आधिपत्यधारी है?	**अप्रमाणित**
2	क्या प्रतिवादीगण, वादीगण के उक्त आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करते है या करने के लिए प्रयासरत है?	**अप्रमाणित**
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक	**अप्रमाणित**

	1 के हित में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 वादीगण के हित विपरीत होकर प्रभावहीन होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है?	
4	क्या वादीगण विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है?	**अप्रमाणित**
5	क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन करते हुए पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	**प्रमाणित**
6	क्या प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन है?	**अप्रमाणित**
7	क्या वादीगण का वाद परिसीमा से बाहर है?	**अप्रमाणित**
8	सहायता एवं वाद व्यय ?	**''निर्णय की कंडिका–31 के अनुसार''**

सकारण निष्कर्ष एवं आधार
विचारणीय प्रश्न कमांक–1 लगायत 4

16. उपरोक्त चारों वाद प्रश्न परस्पर एक ही साक्ष्य से संबंधित होने के परिणामस्वरूप साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

17. वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं परशुराम दोहरे (वा.सा. 01), हरप्रसाद (वा.सा.02) एवं सुरजन (वा.सा.03) का परीक्षण कराया गया है और अपने समर्थन में प्र.पी. 01 लगायत प्र.पी. 15 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी कमांक 01 की ओर से अपने समर्थन में स्वयं अपना विक्रम यादव (प्रति.सा. 01) एवं लालाराम अहिरवार (प्रति.सा.02) का परीक्षण कराया गया है।

18. उपरोक्त वाद प्रश्नों के संबंध में वादी परशुराम (वा.सा.01) ने वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के समर्थन में न्यायालयीन साक्ष्य में इस आशय का कथन किया है कि विवादित भूमि वादीगणों की है जो उनके पिता छिम्मे के नाम थी जो उन्होंने शेर खां, छोटे खां और लालाराम से खरीदी थी। उक्त भूमि दिनांक 10.15.1984 को कय की गई थी जिसके संबंध में उसने विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 01 पेश की है। साक्षी द्वारा अपने समर्थन में नायब तहसीलदार भाण्डेर के प्रकरण कमांक 2/93–94/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 16.12.1996 की प्रमाणित प्रति प्र.पी. 02 एवं विवादित भूमि का खसरा सम्वत् 2043 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 03 एवं अन्य राजस्व दस्तावेज खसरा–खतौनी प्र.पी. 04 लगायत प्र.पी. 11 प्रस्तुत किये गये है एवं प्रतिवादी कमांक 2 व 3 द्वारा कराया गया नामांतरण आदेश प्र.पी. 12, घोषणा पत्र प्र.पी. 13 एवं वसीयतनामा प्र.पी. 14 एवं विक्रय पत्र जो हमीद खां एवं बसीर खां

पुत्र शेर खां द्वारा विक्रम यादव के पक्ष में निष्पादित किया गया है प्र.पी. 15 प्रकरण में पेश किया गया है।

19. साक्षी ने अपने अग्रेतर परीक्षण में प्रकट किया कि विवादित जमीन पर वादीगण का कब्जा है और उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1997—1998 तक अंकित रहा है। सेंदल, शेर खां की पत्नी थी जिसकी मृत्यु हो गई है। विवादित भूमि का पुराना नंबर 136 एवं नया नंबर 96 है उसके पिता छिम्मे द्वारा विवादित जमीन क्रय करने के उपरांत से भूमि पर उसका आधिपत्य रहा है। वसीर खां और हमीद खां द्वारा विक्रय में पक्ष में एक विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है जो कि फर्जी है। हमीद और वसीर खां का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। छिम्मे अपनी मृत्युपर्यन्त तक और उसके पश्चात वादीगण विवादित भूमि पर काबिज रहे है। प्रतिवादी उनका कब्जा छीनने की धमकी देते है। साक्षी ने प्रकट किया कि उसके पिता को रामदयाल के नाम से भी पुकारा जाता था। विवादित भूमि उसके पिता छिम्मे ने उसके एवं उसके भाई रामस्वरूप के पक्ष में वसीयत की थी जो कि ग्राम पौरा में लेख की गई थी और उसे आशाजीत गौतम द्वारा लेख किया गया था जिसके साक्षीगण रामप्रसाद, सुरजन और लंपू थे। वर्ष 2022 में विक्रम ने उससे विवादित जमीन का कब्जा छोड़ने की धमकी दी थी।

20. हरप्रसाद (वा.सा.02) ने अपने परीक्षण में उभयपक्षों की पहचान सुनिश्चित करते हुए बताया है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसने विवादित भूमि पर रामस्वरूप और परशुराम का कब्जा देखता आ रहा है। विवादित भूमि लगभग 2 बीघा के आसपास है और उस पर वादीगण के अतिरिक्त किसी का आधिपत्य नहीं रहा है। सुरजन (वा.सा.03) ने अपने परीक्षण में यह प्रकट किया है कि विवादित भूमि को छिम्मे ने शेर खां, छोटे खां एवं लालाराम से क्रय किया था और उक्त भूमि पर आधिपत्य परशुराम एवं रामस्वरूप का है उसके पति छिम्मे ने विवादित जमीन का वसीयतनामा रामस्वरूप और परशुराम के नाम से कर दिया है। उक्त वसीयतनामा के निष्पादन के समय वह, लम्पू एवं रामप्रसाद मौजूद थे जिस पर उसने एवं उक्त लोगों ने अपनी अंगूठा निशानी अंकित की थी एवं रामप्रसाद, आशाजीत द्वारा वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर किये गये थे। प्रतिवादी विक्रमसिंह यादव जबरदस्ती उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहते है।

21. विक्रम यादव (प्रति.सा.01) ने अपने परीक्षण में प्रकट किया है कि विवादित भूमि धमना मौजा में है जिसका वह मालिक है और उसी का कब्जा है। उक्त भूमि उसने वसीर खां और हमीद खां से लगभग 4 वर्ष पहले क्रय की थी और भूमि क्रय के पूर्व उस पर वसीर खां और हमीद खां का कब्जा था और वही मालिक थे। वादग्रस्त भूमि की लिखापढी भाण्डेर में हुई थी विक्रय पत्र प्र.पी. 15 पर लालाराम अहिरवार और देवसिंह अहिरवार ने गवाही के हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने प्रकट किया कि विवादित भूमि के पूर्व दिशा में भगवानदास दोहरे का खेत, पश्चिम दिशा में नहर, उत्तर में बिहारी कुशवाह है एवं दक्षिण में धनीराम पटेल का खेत है। साक्षी ने प्रकट किया कि उसने विक्रेतागण हमीद खां, वसीर खां से संपूर्ण भूमि रकबा 61 विश्वा क्रय किया है और लगभग 28 विश्वा का विवाद है एवं विवादित

भूमि पर वादीगण का आधिपत्य कभी नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि उनके पिता की थी।

22. लालाराम अहिरवार (प्रति.सा.02) ने अपने परीक्षण में यह प्रकट किया है कि विवादित भूमि उसने देखी है जिस पर विक्रम सिंह का कब्जा है। उक्त भूमि उसने हमीद एवं वसीर खां से क्रय की थी। विक्रय पत्र प्र.पी. 15 के ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर देवसिंह के एवं सी से सी एवं डी से डी भागों पर विक्रेतागणों के हस्ताक्षर है। क्रय दिनांक से ही विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी विक्रमसिंह है।

23. इस प्रकार उभयपक्षों की साक्ष्य के आधार पर वादीगणों का यह मामला है कि भूमि सर्वे क्रमांक 136 रकबा 0.388 हे. को उनके पिता छिम्मे द्वारा प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 हमीद खां एवं वसीर खां के पिता शेर खां एवं छोटे खां हिस्सा 2/3 एवं लालाराम हिस्सा 1/3 से दिनांक 10.05.1984 को प्र.पी. 01 के विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 2/1993–94/अ–6 आदेश दिनांक 16.12.1996 के माध्यम से उक्त भूमि पर उनके पिता छिम्मे का नामांतरण प्र.पी. 02 के आदेश के माध्यम से हुआ जिसकी पुष्टि खसरा पांचसाला वर्ष 1994–95 लगायत 1998–99 प्र.पी. 11 से होती है जिसका कालांतर में छिम्मे द्वारा प्र.पी. 14 के वसीयतनामा के माध्यम से अपने पुत्र/वादीगण रामस्वरूप एवं परशुराम को दिनांक 10.08.2007 को वसीयत के माध्यम से अंतरित करना प्रकट किया है।

24. वादीगण अपने अभिवचनों एवं साक्ष्य में जिस भूमि को उनके पिता छिम्मे द्वारा शेर खां, छोटे खां एवं लालाराम से क्रय करना प्रकट करते है वह प्र.पी. 01 के विक्रय पत्र में सर्वे नंबर 136 रकबा 0.388 आरे पर अंकित है और इसी भूमि का प्र.पी. 02 के माध्यम से नामांतरण व तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 1994–95 से वर्ष 1999 तक छिम्मे का नाम संशोधित होकर दर्ज रहा है। जबकि वर्तमान विवाद भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 0.390 हे. के संबंध में है। इस संबंध में वादीगणों की ओर से महत्वपूर्ण दस्तावेज रीनंबरिंग सूची अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे न्यायालय प्रथम दृष्टया यह उपधारित नहीं कर सकता कि वादीगणों के पिता छिम्मे द्वारा प्र.पी. 01 के माध्यम से क्रय की गई भूमि ही बंदोबस्त के पश्चात भूमि सर्वे मानांक 96 रकबा 0.390 हे. में परिवर्तित हुई जिसका शेर खां के पुत्रगण प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 विक्रम यादव के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। प्रतिवादीगणों ने भी अपने अभिवचनों में यह विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 136 के रूप में दर्ज थी। उनका यह कथन है कि यह तथ्य रिकॉर्ड का विषय है और उक्त तथ्य को साबित करने का भार स्वयं वादीगण का है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में वादीगणों की ओर से बंदोवस्त के पश्चात भूमि परिवर्तन होने संबंधी रीनंबरिंग सूची अभिलेख पर नहीं है।

25. इस संबंध में परशुराम दोहरे वादी साक्षी क्रमांक 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के बाबत

मौजा धमना में बंदोवस्त हुआ था और तब उसके पिता जीवित थे। बंदोवस्त की कार्यवाही में उसके पिता को कोई सूचना नहीं दी गई थी और विवादित भूमि का कोई पटटा भी बंदोवस्त के दौरान उसके पिता को प्राप्त नहीं हुआ था और न ही पटटा न मिलने के संबंध में कोई कार्यवाही उसके पिता द्वारा की गई थी। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि बंदोवस्त के दौरान कृषि भूमि के नंबर परिवर्तित हो जाते है और विवादित भूमि का नंबर भी परिवर्तित हुआ था जिसके संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था। उपरोक्त स्वीकारोक्ति स्वयं यह सिद्ध करती है कि बंदोवस्त की कार्यवाही के दौरान भूमियों के नंबर परिवर्तित होते है और बंदोवस्त की कार्यवाही के दौरान विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 पूर्व सर्वे क्रमांक 136 थी, इस संबंध में उसकी ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया भूमि की पहचान ही सुनिश्चित नहीं है।

26. प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि वादीगणों द्वारा अपने पिता छिम्मे की मृत्यु वर्ष 2007 के पश्चात विवादित भूमि पर बंदोवस्त के पश्चात अपना नाम दर्ज करवाने बाबत राजस्व न्यायालयों में कोई कार्यवाही की गई हो या नामांतरण संबंधी कार्यवाही की गई हो ऐसी अभिलेख पर न तो कोई साक्ष्य है और न ही इस संबंध में दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में वसीयतनामा प्र.पी. 14 वर्तमान प्रकरण की विवादित भूमि से संबंधित हो, यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। अब जहां तक विवादित भूमि पर वादीगणों के आधिपत्य का प्रश्न है तो उनके द्वारा अपने समर्थन में ऐसी कोई राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य प्रमाणित होता हो। पूर्व सर्वे क्रमांक 136 रकबा 0.388 हे. के संबंध में भी वर्ष 1998 के बाद का कोई दस्तावेज वादीगणों की ओर से पेश नहीं है जिसमें उसके पिता छिम्मे की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज हो। मात्र वादी साक्षीगण हरप्रसाद एवं सुरजन ने विवादित भूमि पर वादीगणों का आधिपत्य होने का कथन किया है लेकिन उक्त कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। यदि वादी का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 0.390 हे. पर आधिपत्य होता तो निश्चित रूप से राजस्व रिकॉड में उनका नाम दर्ज होता, क्योंकि पटवारी प्रत्येक वर्ष में 2 बार एवं गिरदावरी के समय खेतों पर जाता है और कब्जेदारों का नाम अंकित करता है।

27. वादी द्वारा अपने अभिवचनों एवं साक्ष्य में विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 11.02.2021 जिसके माध्यम से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 0.390 आरे में से भाग 282/390 रकबा 0.282 आरे प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 हमीद खां एवं वसीर खां द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 विक्रम यादव के पक्ष में निष्पादित किया गया था, उसे शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 रकबा 0.390 आरे बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 136 थी जो उनके पिता छिम्मे द्वारा क्रय की गई थी। ऐसी स्थिति में वादीगणों को उक्त विक्रय पत्र प्र.पी. 15 को शून्य घोषित कराने की अधिकारिता नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 एवं उनकी मॉ

सेंदल के नाम प्र.पी. 12 के नामांतरण आदेश प्रकरण क्रमांक 0303/अ–6/2021–22 आदेश दिनांक 04.10.21 प्र.पी. 12 के माध्यम से आई थी और उक्त आदेश को भी वादीगणों द्वारा राजस्व न्यायालयों में कोई चुनौती नहीं दी गई है। तत्पश्चात प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 द्वारा विवादित भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के हित में किया गया है। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे है। वर्तमान में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 का विक्रय प्र.पी. 15 की रजिस्टी के माध्यम से किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 96 का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि वे पैतृक संपत्ति के आधार पर उक्त भूमि पर स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः विभिन्न चरणों में की गई विवेचना के आधार पर वादीगण मौजा धमना तहसील भाण्डेर स्थित विवादित भूमि मानांक 96 रकबा 0.390 हे. (बंदोवस्त पूर्व सर्वे क्रमांक 136) का पैतृक संपत्ति होने के स्वामित्वधारी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित करने में असफल रहे है एवं अभिलेख पर जो साक्ष्य है उससे यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के उक्त आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करते है या करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि वादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य ही प्रमाणित नहीं है। अभिलेख पर जो साक्ष्य है उससे यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हित में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 वादीगण के हित विपरीत होकर प्रभावहीन होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है और न ही वादीगण विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। **तद्नुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 अप्रमाणित होकर निराकृत किया जाता है।**

<u>**विचारणीय प्रश्न क्रमांक–5**</u>

28. वादीगणों की ओर से प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत है वादीगणों की ओर से अपने दावे का मूल्यांकन भूमि के वार्षिक लगान 2.42 रूपये का 20 गुणा अर्थात 48.40 रूपये निर्धारित करते हुए उस पर स्वत्व घोषणा हेतु 500/– रूपये एवं निषेधाज्ञा बाबत 600/– रूपये का न्यायशुल्क अदा किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में व्यक्त किया है कि वादी द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है वह गलत है, किन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। चूँकि विवादित भूमि कृषि योग्य है जिस पर लगान निर्धारित है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 एवं घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु अदा किया गया न्यायशुल्क, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची 2 के संख्यांक 17 (III) एवं धारा 7 घ की प्रयोज्यता में उचित प्रतीत होता है। **तद्नुसार वादप्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित होकर निराकृत किया जाता है।**

<u>**वादप्रश्न क्रमांक–06 के संबंध में–**</u>

29. असंयोजन से तात्पर्य आवश्यक पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार न बनाया जाना है, यद्यपि वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से अपने परीक्षण में उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादी को वर्तमान प्रकरण में किस आवश्यक पक्षकार को पक्षकार के रूप में संयोजित करना चाहिए था जिसकी उपस्थिति प्रकरण के प्रभावी न्यायपूर्ण निराकरण के लिए अत्यंत उपयोगी थी। अतः साक्ष्याभाव में प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन होना प्रमाणित नहीं होता है। **अतः वादप्रश्न क्रमांक 6 अप्रमाणित होकर निराकृत किया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–7

30. वादीगणों द्वारा उक्त प्रकरण घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रकरण में वाद कारण दिनांक 12.02.2021 को उत्पन्न होना प्रकट करते हुए बताया कि जब प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 द्वारा विवादित भूमि का अंतरण प्रतिवादी क्रमांक 03 को कर दिया एवं दिनांक 04.10.21 को मृत सेंदल के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण हुआ एवं दिनांक 15.10.22 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा जब वादीगणों को कब्जा छीनने की धमकी दी गई, तब उन्हें बाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगणों की ओर से अपने अभिवचनों के अतिरिक्त अपनी साक्ष्य में इस तथ्य बाबत कोई खण्डन नहीं किया गया है कि प्रकरण में वादीगणों को उपरोक्त दिनांकों को उपरोक्त कार्यवाहियों के किये जाने के परिणामस्वरूप कोई बाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त संबंध में वादीगणों के अभिवचन एवं साक्ष्य अखण्डित रहे है। इस प्रकार वादीगणों की ओर से प्रस्तुत बाद वास्ते घोषणा एवं निषेधाज्ञा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 58 एवं 113 के अंतर्गत परिसीमा अवधि में होना प्रतीत होता है। **तदानुसार वादप्रश्न क्रमांक 7 अप्रमाणित होकर निराकृत किया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 8 सहायता एवं वादव्यय

31. अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उसकी विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण अपना दावा संभावनाओं की अधिसंभावना के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा वास्ते स्वत्वाधिकार की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किया जाता है।

1. वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।
2. अधिवक्ता शुल्क म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार प्रमाणित होने पर उसके अनुसार, जो भी कम हो देय हो।
3. निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(श्रीकृष्ण बुखारिया)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड
भाण्डेर जिला दतिया (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/–
(श्रीकृष्ण बुखारिया)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड
भाण्डेर जिला दतिया (म0प्र0)